कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक–स्था0 / 2021 / 802 दिनांक– 23-02-2021

–:: आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–2146 दिनांक–24.12.2020 के क्रम में सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी), 2018 के आदेश 20 के नियम 52 तथा आदेश 45 के नियम 01 के अनुसार जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र के जयपुर स्थित दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले शपथ–पत्रों को सत्यापित करने हेतु निम्नांकित अभिभाषकगण को वर्ष–2021 के लिए शपथ–आयुक्त नियुक्त किया जाता है–

Sr. No.	Name of Advocate (Sarva Shri/Smt./Ms.)	Enrolment No.
1.	Jitender Kumar Lakwhani	R/1781/2007
2.	Prem Prakash Rathore	R/1277/2013
3.	Harish Saini	R/862/2018

उपरोक्त शपथ–आयुक्त, सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी), 2018 के आदेश 20 के नियम 52 के तहत रजिस्टर संख्या 235 एवं आदेश 45 के नियम 02 के तहत रजिस्टर संख्या 270 में सत्यापन हेतु प्रस्तुत होने वाले सभी शपथ–पत्रों को दर्ज करेगें तथा रजिस्टर के प्रत्येक कॉलम में सभी वांछित सूचनाओं का इन्द्राज करेगें।

01. शपथ–आयुक्त को शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी), 2018 के आदेश 20 के नियम 52(3),(4) व (5) की सख्ती से पालना करनी होगी।
02. शपथ–आयुक्त उपरोक्त रजिस्टर अधोहस्ताक्षरकर्ता को माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगें।
03. यदि किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी इस रजिस्टर का अवलोकन करना चाहे तो आवश्यक रूप से उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगें।
04. शपथ–आयुक्त अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकारिक मुद्रा का स्वयं के लिए प्रबन्ध करेगें जिसमें इस न्यायालय का नाम उपदर्शित होना चाहिए एवं आयुक्त के रजिस्टर में शपथ–पत्र से संबंधित प्रविष्ठि का क्रम संख्या व तारीख अभिलिखित किये जाने के लिए स्थान रखा जाना चाहिए। सील का नमूना निम्न प्रकार है–

रजिस्टर का क्रमांक .... दिनांक–...........................

यह शपथ पत्र मेरे समक्ष श्री / श्रीमती / सुश्री .... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... जाति .... आयु .... वर्ष निवासी ... . ने प्रस्तुत किया, जिसकी पहचान श्री .... ने की जिन्हे मै भलीभांति पहचानता हूँ। शपथकर्ता ने शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को सशपथ सही होना स्वीकार किया। अतः शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है।

हस्ताक्षर
शपथ आयुक्त (वर्ष 2021)
न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

05. शपथ आयुक्त की नियुक्ति इन शर्तो के अध्यधीन होगी कि वे उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर व सील बनाकर अवलोकनार्थ अपने मोबाईल नम्बर एवं कार्य प्रारम्भ करने की सूचना सहित इस कार्यालय में दिनांक–05.03.2021 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगें।

06. नियुक्त शपथ आयुक्त को यह भी अण्डरटेकिंग देनी होगी कि वे अपना समय इस प्रकार नियत करेगें कि न्यायालय समय में शपथ पत्रों के सत्यापन हेतु परिसर में पर्याप्त संख्या में शपथ आयुक्त उपलब्ध रहे।

07. शपथ आयुक्त द्वारा कार्य नहीं करने अथवा नियुक्ति वर्ष की समाप्ति के पश्चात् वह उक्त सील (मोहर) अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करा देगा।

08. उक्त शपथ आयुक्त केवल शपथ पत्रों को सत्यापित कर सकेगें, किसी अन्य दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए अधिकृत नही होगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक–स्था0/2021/802 दिनांक–23-02-2021

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –</u>

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम
4. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय
5. जिला दण्डनायक, जयपुर
6. अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन जयपुर
7. रीडर ग्रेड–प्रथम, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय
8. सिस्टम ऑफिसर को जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय
10. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय